अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2020 (RCMS 2020/00085) बलजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 जेजे"ए" तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> प्रिंसीपल, परमानन्द डिग्री कॉलेज गजसिंहपुर

26.08.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बलजीत सिंह की ओर से श्री सुरेश धमीजा, अधिवक्ता ने दिनांक 18.03.2020 को मीमो ऑफ एपीयरेंस एवं लिखित बहस पेश की थी तथा दिनांक 27.07.2020 को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। आज अपीलार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रिंसीपल, परमानन्द डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 3.10.2019 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने प्रिंसीपल, परमानन्द डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर से वांछित सूचना दिलवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बलजीत सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2019 के द्वारा प्रिंसीपल, परमानन्द डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

परमानन्द डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर में कार्यरत अध्यापिका हरमीत कौर पुत्री जगदीश सिह निवासी 39 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में कब से कार्यरत है, इनकी मासिक वेतन कितना है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी दिलाये जाने का प्रार्थी श्रीमान्‌जी से निवेदन कर रहा है। श्रीमान्‌जी अपने स्तर पर कार्यवाही करते हुए मुझ प्रार्थी को उक्त सूचना उक्त पते पर उपलब्ध करवायी जावे, आपकी अति कृपा होगी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रिंसीपल, परमानन्द डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर ने अपने प्रार्थना पत्र क्रमांक 4928 दिनांक 18.03.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ अनुक्रम में आपसे निवेदन है कि उत्तरदाता संस्थान सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान नहीं है प्राईवेट ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था है वर्णित तथ्य दृष्टिगत उत्तरदाता संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आता। इस सम्बन्ध में सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 2990/2016 अपीलार्थी श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री वजीर सिंह बनाम प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा निर्णय दिया गया है। इसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अपीलार्थी का आवेदन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संस्थान पर प्रभावी नहीं होने के कारण विचार योग्य नहीं है।

प्राचार्य
परमानन्द डिग्री कॉलेज
गजसिंहपुर–335024

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध प्राचार्य, परमानन्द डिग्री कॉजेल, गजसिंहपुर से है और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राचार्य, परमानन्द डिग्री कॉजेल, गजसिंहपुर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनवाई हेतु निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इसलिए गुण दोष के आधार पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति प्राचार्य, परमानन्द डिग्री कॉलेज, गजसिंहपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर